

बिहार राज्य एवं अन्य

बनाम

जैन प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

21 नवंबर, 2001

[एम. बी. शाह एवं बी. एन. अग्रवाल, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226—अनुबंध-उल्लंघन- अनुबंधात्मक दायित्व को लागू करने हेतु विनिर्दिष्ट आदेश याचिका-निर्धारित, विनिर्दिष्ट आदेश उचित नहीं है अनुबंधात्मक दायित्वों के न्यायनिर्णयन हेतु कार्यवाही - उचित उपाय दीवानी वाद दायर करके साक्ष्य के आधार पर विवाद का न्यायनिर्णयन है।

अपीलकर्ताओं एवं उत्तरदाता कंपनी के बीच पीवीसी पाइप एवं फिटिंग की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध हुआ था। उत्तरदाता कंपनी की ओर से फिटिंग की आपूर्ति में कुछ देरी हुई। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं ने अनुबंध समाप्त कर दिया एवं फिटिंग को अधिक कीमत पर खरीदा। इसके बाद, उत्तरदाता को अंतिम भुगतान करते समय, अपीलकर्ताओं ने फिटिंग की खरीद पर अपने द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च की कटौती कर ली। उत्तरदाता कंपनी ने इस कटौती को चुनौती देते हुए एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि सामग्री की गैर-आपूर्ति अपीलकर्ताओं द्वारा सड़क परमिट प्रदान करने में विफलता या इनकार के कारण हुई थी, एवं इसलिए, उन्हें ऐसी गैर-आपूर्ति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपीलकर्ताओं ने आपत्ति जताई कि उत्तरदाता ने अनुबंध का उल्लंघन किया है एवं न्यायालय को ऐसे मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बिना किसी दीवानी मुकदमे के साक्ष्य के, हलफनामे के आधार पर विवाद का फैसला करने में कोई कठिनाई नहीं है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका स्वीकार कर ली। अपीलकर्ताओं की लेटर्स पेटेंट अपील भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। अतः वर्तमान अपील दायर की गई।

वर्तमान अपील में मुद्दा यह था कि क्या उच्च न्यायालय को कथित अनुबंध उल्लंघन के मामले में अनुतोष प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. अनुच्छेद 226 के तहत विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संविदात्मक दायित्वों के निर्णय हेतु उचित प्रक्रिया नहीं है। कानून के अनुसार, उत्तरदाता के पास अनुबंध उल्लंघन के लिए उचित अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय से संपर्क करने का विकल्प खुला था। जब वादी के लिए कोई वैकल्पिक एवं समान रूप से प्रभावी उपाय उपलब्ध हो, तो उसे उस उपाय का अनुसरण करना चाहिए, न कि उच्च न्यायालय के रिट आदेश क्षेत्राधिकार का सहारा लेना चाहिए। इसी प्रकार, वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व न्यायालय के विनिर्दिष्ट आदेश जारी करने के क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन सामान्यतः यह अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करने से इनकार करने का एक अच्छा आधार होगा। [314-एच; 315-ए-बी]

2.1. यह सच है कि कई मामलों का फैसला हलफनामों एवं जवाबी-हलफनामों में उठाए गए तर्कों के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन यह कथित अनुबंध उल्लंघन के मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग का आधार नहीं होगा।[316-सी]

2.2. इस मामले में, यह प्रश्न कि क्या अपीलकर्ताओं द्वारा कथित रूप से सड़क परमिट न दिए जाने से उत्तरदाता द्वारा अनुबंध का उल्लंघन उचित ठहराया जा सकता है, तथ्यों एवं साक्ष्यों पर निर्भर करेगा एवं इसका निर्णय या निपटारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अनुबंध के उल्लंघन के संबंध में पक्षों के ऐसे गंभीर रूप से विवादित प्रश्नों या प्रतिद्वंदी दावों की जाँच एवं निर्धारण उन साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए जो पक्षकारों द्वारा उचित रूप से स्थापित दीवानी मुकदमे में प्रस्तुत किए

जा सकते हैं, न कि किसी न्यायालय द्वारा जो रिट आदेश जारी करने के विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है। [316-सी-ई]

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 7932 वर्ष 2001

पटना उच्च न्यायालय के वर्ष 2000 के एल.पी.ए. संख्या 945 में दिनांक 11.1.2001 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से कुमार - राजेश सिंह एवं बी.बी. सिंह।

मेसर्स नारायण एंड कंपनी एवं उत्तरदाता की ओर से - श्री नारायण, संदीप नारायण एवं सुश्री अंजली।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति, शाह** द्वारा सुनाया गया एवं अनुमति दी गई।

इस अपील में सीमित प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय को कथित अनुबंध उल्लंघन के मामले में अनुतोष देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए था।

स्थापित कानून के अनुसार, संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के लिए विनिर्दिष्ट आदेश याचिका उचित उपाय नहीं है। यह दोहराया जाना आवश्यक है कि अनुच्छेद 226 के तहत विनिर्दिष्ट आदेश याचिका ऐसे विवादों के निपटारे के लिए उपयुक्त कार्यवाही नहीं है। कानून के तहत, उत्तरदाता के पास अनुबंध के उल्लंघन के लिए उचित अनुतोष प्राप्त करने हेतु सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में जाने का विकल्प खुला था। यह स्थापित कानून है कि जब वादी के लिए कोई वैकल्पिक और समान रूप से प्रभावी उपाय उपलब्ध हो, तो उसे उस उपाय का अनुसरण करना चाहिए, न कि उच्च न्यायालय के रिट आदेश क्षेत्राधिकार का सहारा लेना चाहिए। इसी प्रकार, वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व रिट आदेश जारी करने के

न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन सामान्यतः यह अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करने से इनकार करने का एक अच्छा आधार होगा।

स्थापित कानून के बावजूद, उत्तरदाता ने पटना उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3968/1997 दायर की, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा अंतिम भुगतान करते समय उत्तरदाता कंपनी के बिलों से 15.24 लाख रुपये की हानि की कटौती करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति के बावजूद कि उत्तरदाता ने अनुबंध का उल्लंघन किया है और न्यायालय को ऐसे मामलों में अपने विनिर्दिष्ट आदेश क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को स्वीकार कर लिया गया। एल.पी.ए. संख्या 945/2000 को भी उच्च न्यायालय ने अपने 11.1.2001 के निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया। अतः यह अपील दायर की गई है।

संक्षेप में तथ्य यह हैं कि महाराष्ट्र के जलगाँव स्थित पंजीकृत कार्यालय वाली उत्तरदाता कंपनी द्वारा पटना और हाजीपुर में पीवीसी पाइप और फिटिंग की आपूर्ति के लिए निविदा स्वीकार कर ली गई और 22.2.1994 को एक समझौता किया गया। आपूर्ति का अनुमानित मूल्य पटना में 5,81,92,584.84 रुपये और हाजीपुर में 7,37,27,421.96 रुपये था। अपीलकर्ताओं के अनुसार, उत्तरदाता कंपनी ने आपूर्ति में देरी की। 2.4.1994 के पत्र द्वारा, कुछ फिटिंग के संबंध में पीवीसी पाइप और फिटिंग की आपूर्ति निलंबित कर दी गई। हालांकि, तत्काल उपयोग के लिए, कुछ पाइपों की आपूर्ति का आदेश दिया गया। रिकॉर्ड के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक पत्राचार होता रहा। उत्तरदाता कंपनी ने तर्क दिया कि अधिकारियों ने आवश्यक सड़क परमिट और अन्य प्रासंगिक कागजात वापस करने से गलत तरीके से इनकार कर दिया है और इसलिए, वह निर्धारित समय के भीतर पीवीसी फिटिंग की आपूर्ति नहीं कर सकी। अंततः, अपीलकर्ताओं ने 10.12.1996 को अनुबंध समाप्त कर दिया और फिटिंग को अधिक कीमत पर खरीद लिया।

इसके बाद, उत्तरदाता को अंतिम बिल का भुगतान करते समय, अपीलकर्ताओं द्वारा वहन की जाने वाली राशि का अंतर काट लिया गया।

उत्तरदाता ने उच्च न्यायालय में रिट आदेश याचिका दायर की। माननीय एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उत्तरदाता कंपनी, अपीलकर्ताओं द्वारा सड़क परमिट उपलब्ध कराने में विफलता या इनकार के कारण, पीवीसी फिटिंग की आपूर्ति करने में असमर्थ थी और कंपनी को पीवीसी फिटिंग की आपूर्ति न करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए, अपीलकर्ता अतिरिक्त खर्च की गई राशि को वसूल या कटौती नहीं कर सकते, जो उन्हें इसकी खरीद पर खर्च करनी पड़ी थी। रिट आदेश क्षेत्राधिकार में तथ्यों के उलझे हुए प्रश्न के निर्णय के संबंध में, माननीय एकल न्यायाधीश ने टिप्पणी की: "इस न्यायालय ने वर्तमान मामले में शपथ पत्र साक्ष्य के आधार पर तथ्यों के प्रश्न का निर्णय करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं की है, और मुझे वर्तमान विनिर्दिष्ट आदेश याचिका के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्यों के प्रश्न का निर्णय करने में किसी दीवानी मुकदमे के साक्ष्य की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है।" अंततः, माननीय न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे उत्तरदाता कंपनी को देय राशि 6% की दर से ब्याज सहित छह महीने के भीतर जमा करें। उपरोक्त आदेश को एलपीए में पुष्टि की गई।

हमारी राय में, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया अवैध और त्रुटिपूर्ण है। यह सत्य है कि हलफनामों और जवाबी-हलफनामों में उठाए गए तर्कों पर विचार करने के बाद कई मामलों का निर्णय किया जा सकता है, लेकिन यह अनुबंध के कथित उल्लंघन के मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग का आधार नहीं हो सकता। क्या अपीलकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर सड़क परमिट न देने से उत्तरदाता द्वारा अनुबंध का उल्लंघन उचित ठहराया जा सकता है, यह तथ्यों और साक्ष्यों पर निर्भर करेगा और इस पर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में निर्णय लेने या विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अनुबंध के उल्लंघन के संबंध में पक्षों के ऐसे गंभीर रूप से

विवादित प्रश्नों या प्रतिद्वंद्वी दावों की जांच और निर्धारण, रिट आदेश जारी करने के विशेषाधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय के बजाय, विधिवत रूप से दायर किए गए दीवानी मुकदमे में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। उत्तरदाता के लिए अन्य उपयुक्त उपाय का सहारा लेना खुला रहेगा।

अपील की अनुमति दी गई।

एस.वी.के.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।